भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. +131**3**

सोमवार, 25 नवम्बर, 2019/4 अग्रहायण, 1941 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

जयंती वन में पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी कदम

+**1313.**श्रीमती लॉकेट चटर्जीः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार जयंती वनक्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वनक्षेत्र को प्लास्टिक-मुक्त बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने वनों में पानी की कमी की समस्या को हल करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री **(**स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय भारत का एक संपूर्ण गंतव्य के रूप में संवर्धन करता है और देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों के संवर्धन के लिए "अतुल्य भारत" ब्रांडलाइन के तहत चल रहे अपने कार्यकलापों के एक भाग के रूप में वार्षिक रूप से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा ऑनलाइन मीडिया अभियान जारी करता है। मंत्रालय की वेबसाइट तथा सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से भी संवर्धन कार्य किया जाता है । इसके अतिरिक्त देश की पर्यटन क्षमता एवं उत्पादों के संवर्धन के उद्देश्य से भारत तथा विदेशों में स्थित भारत पर्यटन कार्यालय विभिन्न संवर्धनात्मक कार्य करते हैं ।

पश्चिम बंगाल वन विकास निगम, जयंती वन क्षेत्र में पर्यटकों के लिए 'बक्सा जंगल लॉज' का प्रचालन करता है ।

(ग): पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सूचित किया है कि उन्होंने सामान्य रूप से सभी वनों में और विशेष रूप से सभी बाघ अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीवन अभ्यारण्यों, जुलॉजिकल पार्कों आदि में एकल प्रयोज्य प्लास्टिक के पूर्ण रूप से निषेध हेतु

जागरूकता अभियानों, संवेदीकरण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के वन प्रमुखों से अनुरोध किया है ।

(घ): पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि उन्होंने वॉटर होल्स, तालाबों, झीलों आदि के निर्माण जैसे वन्य जीवन संरक्षण कार्यकलापों और प्राकृतिक आवास को बेहतर बनाने से संबंधित निर्माण कार्यों के लिए प्राकृतिक आवास के विकास संबंधी केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देने का अनुरोध किया है ।

****